

# Order Sheet [Contd]

Case No 127 / 2017 बी.ए

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding   | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-----------------------------|---|--|
| 11-04-2017                  | <p>आवेदक/अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप0क्र0 339/16 धारा 147, 148, 149, 294, 324, 506 भा0दं0वि0 इजाफा धारा 326 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया है, जबकि दिनांक 16.11.16 को आवेदक जब अपने सरसों के खेत में पानी दे रहा था उस समय फरियादी पक्ष के द्वारा एकराय होकर कुल्हाड़ी, लाठी, फर्सा से लेश होकर आवेदक को गाली गलोज की और मारपीट की जिस पर से उनके विरुद्ध थाना गोहद में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त रिपोर्ट से बचने के लिए यह झूठी रिपोर्ट आवेदक के विरुद्ध की गई है। जबकि आवेदक सीधा सादा व्यक्ति है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। यदि आवेदक को उक्त झूठे अपराध में गिरफ्तार किया गया तो उसकी मान प्रतिष्ठा को आघात पहुँचेगा। वह अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। प्रकरण में सहअभियुक्त शैलेन्द्रसिंह व जगदीश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1628/17 एवं 1627/17 आदेश दिनांक 06.03.17 को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है। वर्तमान आवेदक का अपराध जमानत पर मुक्त आरोपीगण के समान होने से समानता के आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> |  |

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण के सहआरोपी शैलेन्द्र सिंह एवं जगदीशसिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम प्रतिभूति का लाभ प्रदान किया गया है और इसी आधार पर आवेदक को अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि जमानत पाए सहआरोपीगण जगदीशसिंह एवं शैलेन्द्रसिंह पर डंडे एवं लात घूसों से मारपीट करने का आरोप है, जबकि आवेदक/अभियुक्त पर कुल्हाड़ी व लुहांगी से आहतगणों को चोट पहुँचाए जाने का आरोप है। आहत धर्मवीर एवं रामवरन को धारदार हथियार की चोट मेडीकल परीक्षण में पाई गई है।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का मामला जमानत पर छोड़े गए आरोपी जगदीश एवं शैलेन्द्र के समान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त पर धारदार हथियार से आहतगणों को चोटें पहुँचाए जाने का आरोप है। अतः प्रकरण की परिस्थितियाँ एवं उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उसकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला— भिण्ड म0प्र0